

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: विज्ञापन सं.- 06/परीक्षा/प्रधानाध्यापक (मा.वि.)/2017-18

दिनांक : 28.03.2018

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु प्रधानाध्यापक-माध्यमिक विद्यालय के पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त/आरक्षित पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या निम्नानुसार है :-

No. of Post(s)	U.R.				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.			
	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता
1200	420	120	48	12	135	38	16	3	101	29	12	2	177	50	20	5	9	2	1	0

दण्डवत आरक्षण - विशेष योग्यजन 36 पद (B/LV - 12, HI - 12, LD/CP (OL, OA, BL) - 12)

1. शैक्षणिक योग्यता -

1. (a) Bachelor's degree with Degree or diploma in Education. (b) Minimum five years' teaching experience in any school.

2. अनिवार्य योग्यता :- Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture.

आवश्यक नोट :-

(1) उपर्युक्त योग्यता में बताई गई डिग्री या डिप्लोमा भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की अथवा सरकार द्वारा मान्य उसके समकक्ष किसी विदेशी विश्वविद्यालय का होना चाहिए।

(2) जिन अभ्यर्थियों ने बी.एस.टी.सी. एवं शिक्षा में स्नातक (बी.एड. डिग्री) की योग्यता प्राप्त कर ली है, ऐसे अभ्यर्थियों का बी.एस.टी.सी. योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् का अध्यापन अनुभव प्रधानाध्यापक के पद हेतु मान्य होगा।

(3) आवेदकों को इन पदों हेतु वांछित अध्यापन अनुभव आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है अन्यथा अपात्र।

(4) निजी शिक्षण संस्थान एवं सरकारी सेवा का अध्यापन अनुभव जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगा।

3. आयु :- दिनांक 01.07.2018 को न्यूनतम 24 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।

4. वेतनमान :- Pay Matrix Level (L-14)

आयु सीमा में छूट

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5
2	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला	10
3	सामान्य वर्ग की महिला	5
4	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य
		पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट

1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
3	राजस्थान राज्य के कारोबार में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
4	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
5	रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण्ड ऑफिसर/शॉर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जावेगा।
6	कैडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
7	राज्य कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
8	In case of members of Rajasthan Educational Subordinate Service the relaxation shall be 15 years.

नोट -

- उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे - आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक-माध्यमिक विद्यालय के पद पूर्व में वर्ष 2012 में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.07.2018 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	इन पदों हेतु परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective) रूप में (Offline/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह	इन पदों की परीक्षा राजस्थान राज्य के जिला/संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र रखी जाएगी। परीक्षा हेतु केन्द्र का आवंटन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है।
आवेदन अवधि	दिनांक 09-04-2018 से दिनांक 08-05-2018 रात्रि 12-00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	1. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in/applyonline से एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लॉगिन कर State Recruitment Portal सर्विस का चयन करना होगा। 2. State Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। 3. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर State Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा। 4. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें। 5. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। 6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।
ऑनलाइन संशोधन	ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 09-05-2018 से दिनांक 15.05.2018 रात्रि 12-00 बजे तक।

Scheme of examination and syllabus for the post of Headmaster Secondary School

- The examination shall carry 600 marks.
- There will be two papers. Both the Papers shall be of 300 marks each. Duration of both the Papers shall be Three hours each.
- All the question in both the Papers shall be Multiple Choice Type questions.

(4) Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation:- Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

(5) Subjects included in both the papers and the marks given to them are shown in the tables below:

Paper-I General Studies

Duration: 3 Hours

	SUBJECT	No. of Questions	Total Marks
1	Rajasthan, Indian and World history with special emphasis on Rajasthan culture and Indian National Movement.	40	80
2	Indian Polity, Indian Economics with special emphasis on Rajasthan.	40	80
3	Use of Computers and Information Technology in Teaching.	15	30
4	Rajasthan, India, World Geography.	30	60
5	General Science.	25	50
Total		150	300

Paper-II General awareness about education and educational administration

Duration: 3 Hours

	SUBJECT	No. of Questions	Total Marks
1	Mental Ability Test.	24	48
2	Statistics (Secondary Level), Mathematics (Secondary Level).	24	48
3	Educational Psychology, Pedagogy, Educational Management at School level, Educational Scenario in Rajasthan.	30	60
4	Right to children to Free and Compulsory Education Act. 2009, Rajasthan Service Rules, CCA Rules, GF&AR .	24	48
5	Current Affairs.	24	48
6	Language ability test:- Hindi, English.	24	48
Total		150	300

विशेष नोट :-

- अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 7 दिवस की ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष सूचना :- "यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।"

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबंधित सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(दीप्ति शर्मा)
उप सचिव